




## हिमाचल प्रदेश सरकार



महालेखाकार (लेखा व हकदारी)  
हिमाचल प्रदेश



**हिमाचल प्रदेश सरकार**

**लेखाओं पर एक दृष्टि  
2009-2010**

**महालेखाकार (लेखा व हकदारी)  
हिमाचल प्रदेश**

## प्राक्कथन

नियन्त्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अन्तर्गत राज्य विधान-सभा के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने हेतु भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक (सी० एण्ड ए० जी०) के निर्देशों के अधीन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं को तैयार किया जाता है व उनकी जांच की जाती है। वार्षिक लेखे में (क) वित्त लेखे व (ख) विनियोग लेखे समावेशित होते हैं। वित्त-लेखे समेकित-निधि, आकस्मिकता-निधि व लोक-लेखा के अन्तर्गत आने वाले लेखाओं के सार-विवरण हैं। विनियोग-लेखे राज्य विधान-सभा द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के सम्मुख अनुदान-वार व्ययों को दर्ज करते हैं तथा वास्तविक व्यय व प्रदत्त निधियों के बीच अन्तर को स्पष्ट करते हैं। राज्य वित्त लेखाओं व विनियोग लेखाओं को महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया जाता है।

"लेखाओं पर एक दृष्टि" वित्त लेखाओं व विनियोग लेखाओं में दर्शाये गए सरकार के कार्यकलापों को व्यापक रूप से उजागर करता है। सूचना को संक्षिप्त स्पष्टीकरणों, विवरणों व ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

प्रकाशन के सुधार हेतु सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शिमला

दिनांक: 19.01.2011

*गीताली तारे*  
(गीताली तारे)

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

## विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	अधिदृष्टि	1-2
अध्याय 2	लेखाओं के मुख्य आकर्षण	3-9
अध्याय 3	सरकारी राजस्व एवं व्यय के रूझान	10-15

## अधिदृष्टि

जिला खजाना, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य व वन मण्डलो अदि द्वारा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को भेजे गए लेखाओं से राज्य-सरकार के मासिक-लेखे को संकलित व समेकित किया जाता है। इसके अलावा, नियन्त्रक महालेखापरीक्षक, (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 के अपेक्षाओं के अनुसार वित्त-लेखाओं व विनियोग लेखाओं को वार्षिक रूप से महालेखाकार द्वारा, भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन तैयार किया जाता है।

सरकार के लेखाओं को निम्नलिखित तीन भागों में रखा जाता है :

- भाग- I समेकित निधि
- भाग- II आकस्मिकता निधि
- भाग- III लोक लेखा

समेकित निधि के दो मुख्य प्रभाग हैं :

राजस्व-प्रभाग (राजस्व लेखा), राजस्व के रूप में वर्गीकृत की गई कराधान-आय व अन्य प्राप्तियों एवं उसमें से किए गए व्यय से सम्बन्धित है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष का राजस्व आधिक्य या घाटा दर्शाया जाता है।

पूंजीगत-प्रभाग का " प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत-लेखा) " भाग पूंजीगत स्वरूप की प्राप्तियों से सम्बन्धित है जिन्हें पूंजीगत व्यय की क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं लिया जा सकता। "व्यय शीर्ष (पूंजीगत-लेखा) " भाग, वस्तुपरक व स्थायी स्वरूप की वास्तविक-परिस्मृतियां को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से, सामान्यतः जमानती-निधियों में से किए गए व्यय से सम्बन्ध रखता है। इसमें पूंजीगत स्वरूप की ऐसी प्राप्तियां भी शामिल होती हैं जिन्हें पूंजीगत व्यय की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाना अभीष्ट हो। "लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम आदि" भाग में सरकार द्वारा उठाए गए ऋण व उससे सम्बन्ध भुगतान जैसे कि " आन्तरिक ऋण " तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम (व उनकी वसूलियां) को समावेशित किया जाता है।

आकस्मिकता निधि में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अधीन स्थापित की गई आकस्मिकता निधि से सम्बन्ध लेन देन दर्ज किया जाता है।

लोक लेखा में "ऋण (सिवाय उनके जिन्हें भाग- I में सम्मिलित किया गया है), "जमा", "अग्रिम", "प्रेषण", व "उचन्त", से सम्बन्ध लेन-देन दर्ज किए जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है। वर्ष 2009-2010 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भी अलग से राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है।

## वित्त लेखे

राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं के अन्तर्गत व्यक्त वित्तीय परिणामों, लोक-ऋणों के लेखाओं तथा लेखाओं में दर्ज किए गए शेषों में से निकाले गए दायित्वों व परिसम्पतियों के साथ-साथ वित्त-लेखे सरकार की वर्ष-भर की प्राप्तियों व निर्गामी लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष 2009-10 के दौरान कुल प्राप्तियां ₹ 13164.12 करोड़ थी जिसमें ₹ 10346.36 करोड़ राजस्व प्राप्ति (कर-राजस्व ₹ 3436.15 करोड़, गैर कर-राजस्व ₹ 1783.66 करोड़ तथा सहायता अनुदान व अंशदान ₹ 5126.55 करोड़) तथा पूंजीगत प्राप्ति ₹ 2817.76 करोड़ के शामिल थे।

वर्ष के दौरान संवितरण ₹ 13164.12 करोड़ थी जिसमें ₹ 11151.01\* करोड़ (84.71 प्रतिशत) राजस्व के अन्तर्गत तथा ₹ 2013.11 करोड़ (15.29 प्रतिशत) पूंजीगत-लेखाओं के अन्तर्गत थे।

## विनियोग लेखे

विनियोग लेखे राज्य विधानसभा द्वारा दत्तमत व प्रभारित की गई राशियों के सम्मुख राज्य सरकार के व्यय को दर्शाते हैं तथा वित्त-लेखे को अनुपूरित करते हैं। इसके अन्तर्गत 8 प्रभारित विनियोजनों तथा 32 दत्तमत अनुदानों के लेखे आते हैं।

विनियोग अधिनियम, 2009-10 के अन्तर्गत वर्ष के दौरान राज्य विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹14958.70 करोड़ के कुल अनुपूरक अनुदान सहित ₹941.95 करोड़ के सकल व्यय को निरूपित किया गया था। ₹ 958.95 करोड़ की राशि को व्यय की कटौती में वसूलियों के रूप में निरूपित किया गया था।

विनियोग लेखे 2009-2010 के अन्तर्गत ₹ 15400.03 करोड़ के सकल बजट प्रावधान के सम्मुख ₹14958.70 करोड़ के सकल संवितरण दिखाए गए हैं, जिसके परिणामतः अनुदानों व विनियोजनों के सम्मुख ₹ 441.33 करोड़ का आधिक्य हुआ है। बजट प्राक्कलनों की तुलना में आधिक्य ₹ 216.19 करोड़ का (12.73 प्रतिशत) अनुदान संख्या 10, लोक निर्माण-सड़क, पुलो तथा भवन, ₹ 256.02 करोड़ (18.20 प्रतिशत) अनुदान संख्या 13, जल वितरण, सिंचाई, सैनिटेशन, एवं वानिकी एवं वन्य प्राणी ₹ 252.63 करोड़ ( 82.72 प्रतिशत) अनुदान संख्या 16 नियन्त्रित अनुदानों के अन्तर्गत था।

व्यय की कटौती में ₹ 1369.09 करोड़ की वसूलियां बजट प्राक्कलनों की तुलना में ₹410.14 करोड़ की वृद्धि को दर्शाती हैं।

पृष्ठ संख्या 3\* पर पाद टिप्पणी देखें।

अध्याय-2

लेखाओं के प्रमुख आकर्षण

(₹ करोड़ में)

क्र० स०		बजट प्राक्कलन 2009-10	वास्तविक आंकड़े	बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी०डी०पी० के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	3734.83	3436.15	92.00	8.13
2.	गैर कर-राजस्व	1615.22	1783.66	110.43	4.22
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	5128.28	5126.55	99.97	12.13
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	10478.33	10346.36	98.74	24.47
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	24.73	33.85	136.88	0.08
6.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	ऋणदान तथा अन्य दायित्व	1591.52	2783.91	174.92	6.59
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	1616.25	2817.76	174.34	6.66
9.	कुल प्राप्तियां ( 4+8 )	12094.58	13164.12	108.84	31.14
10.	आयोजनेतर व्यय (एन०पी०ई०)	9270.76	9964.66*	107.48	23.57
11.	राजस्व-लेखा पर एन०पी०ई०	9210.54	9913.45*	107.63	23.45
12.	11 में से ब्याज अदायगियों पर एन०पी०ई०	964.67	1955.85	202.75	4.63
13.	पूंजीगत लेखा पर एन०पी०ई०	60.22	51.21	85.04	0.12
14.	योजना व्यय (पी०ई०)	2823.82	3199.46	113.30	7.57
15.	राजस्व लेखा पी०ई०	1011.22	1237.56	122.38	2.93
16.	पूंजीगत-लेखा पी०ई०	1812.60	1961.90	108.24	4.64
17.	कुल व्यय (10+14)	12094.58	13164.12*	108.84	31.14
18.	राजस्व व्यय (11+15)	10221.76	11151.01*	109.09	26.38
19.	पूंजीगत व्यय (13+16 )	1872.82	2013.11**	107.49	4.76
20.	राजस्व घाटा (-) राजस्व आधिक्य (+)(18-4)	(+)256.57	(-)804.65	(-) 413.62	(-) 1.90
21.	राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	(-)1591.52	(-)2783.91	(-) 174.92	(-) 6.58

\* इसमें ₹ 280.62 करोड़ की राशि पिछले वर्षों के गलत वर्गीकरण (₹ 259.55 करोड़ मुख्य शीर्ष 2406 वानिकी एवं वन्य प्राणी के अन्तर्गत एवं ₹ 21.07 करोड़ मुख्य शीर्ष 2801 विद्युत के अन्तर्गत) सम्मिलित है।

\*\* पूंजीगत व्यय में, पूंजीगत व्यय (₹ 1943.44 करोड़) तथा दिये गये ऋण एवं अग्रिम (₹ 69.67 करोड़) सम्मिलित है।

## प्राप्तियां एवं संवितरण

वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां ₹13164.12 करोड़ थी जिसके सम्मुख कुल संवितरण ₹13164.12 करोड़ किए गए।

निम्नलिखित सारणी में वर्ष 2009-10 के लेखाओं का सारांश दिया गया है:- (₹ करोड़ में)

कुल प्राप्तियां	13164.12	कुल संवितरण	13164.12 #
राजस्व प्राप्तियां	10346.36 (78.60%)	राजस्व संवितरण	11151.01 # (84.71%)
पूंजीगत प्राप्तियां	2817.763 (21.40%)	पूंजीगत संवितरण	2013.11 (15.29%)

## प्राप्तियां

### राजस्व-प्राप्तियां

कुल ₹ 3436.15 करोड़ का कर-राजस्व एवं ₹ 1783.66 करोड़ का गैर कर-राजस्व, जी0डी0पी0 का क्रमशः 8.13 प्रतिशत व 4.22 प्रतिशत रहा। राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान (₹ 5126.55 करोड़), बिक्री कर (₹ 1487.40 करोड़), निगम कर (₹ 354.59 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 500.26 करोड़), पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर (₹ 197.14 करोड़), शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (₹ 83.61 करोड़), माल तथा यात्रियों पर कर (₹ 88.74 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 197.52 करोड़), एवं उद्योग (₹ 30.81 करोड़), {जी0 डी0 पी0 का 12.13 प्रतिशत, 3.52 प्रतिशत, 0.84 प्रतिशत, 1.18 प्रतिशत, 0.47 प्रतिशत, 0.20, 0.21, 0.47, एवं 0.07 प्रतिशत था}।

वर्ष के दौरान शुद्ध कर-प्राप्तियां बजट प्राक्कलनों से ₹ 298.68 करोड़ कम थी जो मुख्यतः विद्युत, विविध सामान्य सेवाएं, भू-राजस्व, संघीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर विद्युत पर कर और शुल्क के अन्तर्गत कम संग्रह के कारण हुई। यह कमी निगम कर, निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, माल तथा यात्रियों पर कर बिक्री, व्यापार आदि पर कर, पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर, में अधिक प्राप्ति से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

सकल राजस्व-प्राप्तियों के अन्तर्गत विभिन्न कर, गैर कर-राजस्व तथा सहायता अनुदान एवं अंशदानों के भाग इस प्रकार हैं :

### राजस्व प्राप्तियां तथा सहायता अनुदान एवं अंशदान


घटक	वास्तविक आंकड़े	कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
<b>क. कर राजस्व</b>	<b>3436.15</b>	<b>33.21</b>
आय व व्यय पर कर*	552.11*	5.34
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	128.74**	1.24
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	2755.30***	26.63
<b>ख. गैर कर-राजस्व</b>	<b>1783.66</b>	<b>17.24</b>
राजकोषीय सेवाएं	—	—
ब्याज प्राप्तियां, लाभांग व लाभ	150.42	1.45
सामान्य सेवाएं	76.71	0.74
सामाजिक सेवाएं	124.56	1.21
आर्थिक सेवाएं	1431.97	13.84
<b>ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान</b>	<b>5126.55</b>	<b>49.55</b>
<b>सकल राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>10346.36</b>	<b>100.00</b>

\* संघीय सरकार से प्राप्त आयकर का भाग।

\*\* इनमें ₹ 0.80 करोड़ राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश सम्मिलित है,

\*\*\* इनमें ₹ 308.72 करोड़ राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश सम्मिलित है।

# पृष्ठ संख्या 3\* पर पाद टिप्पणी देखें।



(कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रभागीय वितरण को दर्शाता चार्ट)

### पूँजीगत प्राप्तियाँ

₹ 1616.25 करोड़ बजट प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 2817.76 करोड़ थी जिसके परिणाम स्वरूप बजट प्राक्कलनों के अन्तर्गत ₹1201.51 करोड़ का समग्र बृद्धि हुई।

### संवितरण

#### राजस्व संवितरण

राजस्व संवितरण शुद्ध जी0डी0पी0 का 26.38 प्रतिशत था। यह बजट-प्राक्कलनों से (₹ 929.25 करोड़), अधिक था, गैर-योजना के अन्तर्गत (₹ 702.91 करोड़), अधिक तथा योजना के अन्तर्गत (₹ 226.34 करोड़), अधिक संवितरण के कारण थे।

#### पूँजीगत संवितरण

पूँजीगत संवितरण, जी0डी0पी0 का 4.76 प्रतिशत था। यह बजट-प्राक्कलनों से ₹ 140.29 करोड़ अधिक था। योजना के अन्तर्गत ₹ 149.30 करोड़ अधिक तथा गैर-योजना के अन्तर्गत ₹ 9.01 करोड़ के कम संवितरण के कारण था।

#### योजनागत संवितरण

वर्ष 2009-2010 के दौरान राज्य योजना के अधीन योजनागत-संवितरण ₹ 3199.66 करोड़ था। राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 2602.83 करोड़, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, केन्द्रीय योजना व भारत सरकार द्वारा शेयर के अन्तर्गत ₹ 596.63 करोड़ का योजनागत संवितरण था।

#### आयोजनेतर संवितरण

वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजनेतर संवितरण ₹ 9964.66 करोड़ था। जिसमें राजस्व के अन्तर्गत ₹ 9913.45\* करोड़ तथा पूँजीगत के अन्तर्गत ₹ 51.21 करोड़ था।


\* पृष्ठ संख्या 3\* पर पाद टिप्पणी देखें।

व्यय का क्षेत्र-वार वितरण तथा कुल राजस्व व्यय से इसकी प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

व्यय का क्षेत्र-वार वितरण तथा कुल राजस्व व्यय से इसकी प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

घटक	राशि	कुल राजस्व व्यय में इसके प्रतिशतता
क. राज्य के अंग	113.08	1.01
ख. राजकोषीय सेवाएं	146.77	1.32
(i) आय व व्यय पर करों का संग्रहण	--	--
(ii) सम्पत्ति व पूंजीगत लेन देनों पर करों का संग्रहण	119.74	1.08
(iii) वस्तुओं व सेवाओं पर करों का संग्रहण	26.49	0.24
(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.54	--
ग. ब्याज अदायगियां व ऋणों सम्बन्धी सेवा	1955.85	17.54
घ. प्रशासनिक सेवाएं	799.68	7.17
ङ. पेंशन व विधि सामान्य सेवाएं	1361.40	12.21
च. सामाजिक सेवाएं	3901.71	34.99
छ. आर्थिक सेवाएं	2868.23*	25.72
ज. सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.29	0.04
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	11151.01*	100.00



\* पृष्ठ संख्या 3\* पर पाद टिप्पणी देखें।

## व्यय का रूझान

वर्ष 2005-06 से 2009-10 (पांच वर्षों) के बीच कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय का रूझान निम्न प्रकार रहा:

### चुने हुए क्षेत्रों में व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2005-06	बजट प्राकलन / संशोधित अनुमान से	2006-07	बजट प्राकलन/ संशोधित अनुमान से	2007-08	बजट प्राकलन / संशोधित अनुमान से	2008-09	बजट प्राकलन / संशोधित अनुमान से	2009-10	बजट प्राकलन/ संशोधित अनुमान से
क. सामाजिक सेवाएं										
(i) शिक्षा	1172.64	112.12 100.34	1324.50	105.33 104.60	1484.15	99.64 97.08	1722.18	91.35 89.33	2071.89	100.39 99.62
(ii) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	344.84	109.81 104.68	397.46	113.27 110.58	437.70	111.45 105.03	482.46	110.02 96.43	609.68	112.31 97.83
ख. आर्थिक सेवाएं										
(i) कृषि	469.89	124.27 101.95	498.15	103.41 102.92	631.46	134.33 115.54	823.18	116.22 102.30	1177.69*	152.30 128.07
(ii) ग्रामीण विकास	106.76	107.91 108.11	149.08	116.32 107.68	185.00	110.02 104.16	250.10	97.53 97.22	277.96	97.38 97.04
(iii) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	89.70	118.24 96.09	129.44	74.80 73.26	186.62	95.48 94.07	201.28	77.80 76.16	219.15	80.67 71.92
(iv) ऊर्जा	123.52	128.73 85.26	314.44	211.30 156.83	174.75	90.15 89.95	108.03	72.88 73.90	188.78*	130.32 108.51
(v) परिवहन	412.30	109.34 103.80	512.34	81.76 81.17	659.36	97.28 95.60	715.02	74.65 74.48	916.87	77.60 75.66
(vi) सामान्य आर्थिक सेवाएं	91.85	132.04 111.17	108.61	115.14 115.09	94.98	100.26 99.75	32.34	85.33 84.73	38.48	89.49 89.32

### ऋण तथा दायित्व

2008-09 के अन्त में बकाया लोक ऋण ₹ 17112.95 करोड़ था जिसमें ₹ 16129.00 करोड़ के आन्तरिक ऋण तथा ₹ 983.95 करोड़ के केन्द्र सरकार के ऋण व अग्रिम तथा ₹ 6667.25 करोड़ के लोक-लेखा के अधीन लिए गए अन्य दायित्व शामिल थे।

लघु बचत संग्रहणों, भविष्य निधियों तथा जमा जैसे निक्षेपों के सम्बन्ध में राज्य एक बैंकर व अमानती के रूप में कार्य करता है। 2009-10 के दौरान राज्य सरकार के ऐसे दायित्वों से सम्बन्धित ₹ 810.74 करोड़ की समग्र अधिक थी। ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज अदायगियां ₹ 1955.85 करोड़ थी जो राजस्व व्यय ₹ 11151.01\* करोड़ का 17.54 प्रतिशत रही। लोक ऋणों पर ब्याज अदायगियां ₹ 1552.71 करोड़ थी (आन्तरिक ऋण ₹ 1479.03 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम ₹ 73.68 करोड़)। वर्ष 2009-10 के दौरान ब्याज अदायगियों पर व्यय ₹ 62.28 करोड़ बढ़ती हुई।

2009-10 के दौरान लिया गया ₹ 2483.50 करोड़ का आन्तरिक ऋण मुख्यतः (i) करोड़ ₹ 810.76 के ऋण भार को चुकाने तथा (ii) ₹ 1479.03 करोड़ के ब्याज के भुगतान हेतु प्रयुक्त किया गया।

### निवेश तथा प्रतिलाभ

गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी0एस0यू0) में शेयर-पूंजी के रूप में कुल निवेश, वर्ष 2009-10 के अन्त में ₹ 1029.79 करोड़ था। वर्ष के दौरान निवेश पर लाभांश ₹ 73.49 करोड़ (7.14 प्रतिशत) प्राप्त हुआ। 2009-10 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश ₹ 293.28 करोड़ बढ़ती हुई लेकिन लाभांश आय में तत्सम्बन्धी ₹ 16.09 करोड़ कम हुई।

\* पृष्ठ संख्या 3\* पर पाद टिप्पणी देखें।

### राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

2009-10 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण एवं अग्रिम ₹ 329.31 करोड़ थे। 31 मार्च 2010 के अन्त तक ₹ 276.29 करोड़ की मूल राशि की वसूली तथा ₹ 34.58 करोड़ की ब्याज की वसूली बकाया पड़ी है।

### स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

2009-10 के दौरान स्थानीय निकायों आदि को ₹ 718.09 करोड़ की सहायता दी गई थी। इसमें 2005-06 में ₹ 379.63 करोड़ से 2009-10 में ₹ 718.09 करोड़ की वृद्धि हुई जो पिछले वर्षों में 89.16 प्रतिशत की बढ़ौतरी थी। 2005-06 से 2009-10 तक पांच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण-संस्थाओं ने सकल अनुदान के प्रमुख भाग का उपभोग किया

### अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों बारे बचनबद्धता

अभियांत्रिकी विभागों द्वारा लिए गए विभिन्न परियोजना कार्यों पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 102.03 करोड़ का कुल व्यय किया गया। वर्ष के दौरान कोई भी परियोजनाओं को बन्द नहीं किया गया।

### विनियोग लेखे

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अधीन पारित किए गए विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2009-10 के विनियोग लेखे 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशियों के लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं।

विनियोग लेखे यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2009-10 में ₹ 14030.92 करोड़ का वास्तविक व्यय हुआ जिसमें ₹ 11151.01\* करोड़ का राजस्व व्यय, ₹ 1943.44 करोड़ का पूंजीगत व्यय, ₹ 866.60 करोड़ की ऋणों की वापसी तथा ₹ 69.67 करोड़ राज्य सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल थे। राज्य विधान सभा द्वारा आर्बिट्रित किए गए कुल अनुदानों के संदर्भ में राजस्व/पूंजीगत/ लोक ऋण/ ऋण एवं अग्रिमों के अन्तर्गत बचत/आधिक्य विद्यमान थे।

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	राजस्व दत्तमत प्रभारित	9063.10 2067.04	601.38 6.81	908.39 कटौती	8756.09 2073.85	9170.39* 1980.62	(+) 414.30 (-) 93.23
2.	पूंजीगत दत्तमत प्रभारित	1895.82 50.65	319.88 12.31	50.56 कटौती	2165.14 62.96	1930.99 12.45	(-) 234.15 (-) 50.51
3.	लोक ऋण प्रभारित	930.08	---	---	930.08	866.80	(-) 63.29
4.	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत	10.06	1.57	---	11.63	69.67	(+) 58.04
5.	योग	14016.75	941.95	958.95	13999.75	14030.92	(+) 31.17

\* पृष्ठ संख्या 3\* पर पाद टिप्पणी देखें।

चुने हुए अनुदानों/ विनियोजनों पर स्थायी बचतों/ आधिक्यों का विवरण नीचे दिया गया है:-

**चुने हुए अनुदानों पर स्थायी (-) बचतों (+) आधिक्यों को दर्शाता व्यय का रूझान**

वर्ष	अनुदान संख्या	कुल आबंटन	कुल अनुदान पर (-) बचतों/ (+) आधिक्यों की प्रतिशतता
2005-06	28- जलापूर्ति, सैनीटेशन, आवास और नगर विकास	560.19	(+) 68.86
2005-06	05- भू-राजस्व और जिला प्रशासन	211.42	(+) 53.83
2005-06	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	508.71	(-) 50.53
2006-07	29- वित्त	3727.13	(+) 5.42
2006-07	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1219.21	(+) 25.66
2006-07	10- लोक निर्माण, सड़क, पुलों तथा भवन	979.32	(+) 15.00
2006-07	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	173.22	(-)24.35
2007-08	05- भू-राजस्व और जिला प्रशासन	232.10	(+)13.90
2007-08	09- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	391.65	(+)7.11
2007-08	10- लोक निर्माण, सड़क, पुलों तथा भवन	1319.47	(+)9.88
2007-08	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1335.05	(+)19.79
2007-08	31- जनजातीय विकास	406.75	(+)9.68
2008-09	08- शिक्षा	2019.55	(-)11.16
2008-09	10- लोक निर्माण, सड़क, पुलों तथा भवन	1500.33	(+)9.64
2008-09	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1355.92	(+)27.03
2008-09	29- वित्त	4309.73	(-) 8.01
2009-10	05- भू-राजस्व और जिला प्रशासन	292.91	(+)11.79
2009-10	10- लोक निर्माण, सड़क, पुलों तथा भवन	1698.65	(+)12.73
2009-10	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1406.71	(+)18.20
2009-10	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	213.95	(-)11.14
2009-10	16- वानिकी एवं वन्य प्राणी	305.40	(+)82.72
2009-10	23- विद्युत विकास	414.21	(-)15.10

वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले विभागाध्यक्षों द्वारा लेखा आंकड़ों का महालेखाकार द्वारा संकलित लेखाओं में बुक किए गए आंकड़ों के साथ समाधान किया जाता है। 2009-10 के दौरान राज्य सरकार के सभी विभागों के भुगतान/ प्राप्ति राशियों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा चुका है।

**खजानों द्वारा लेखाओं का महालेखाकार (ले0 व ह0) को लेखाओं का प्रेषण**

वर्ष 2009-10 के दौरान लेखाओं के प्रेषण के सम्बन्ध में विलम्ब की अवधि बहुत से खजाना अधिकारियों द्वारा (विशेषतः कैलांग, काजा, पांगी, चम्बा और नाहन) 2 से 14 दिनों के मध्य रही।

### अध्याय--3

#### सरकारी राजस्व एवं व्यय के रूझान

2005-06 से वर्ष 2009-10 तक (5 वर्षों में) सरकारी राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय में आए रूझान को नीचे दर्शाया गया है:-

#### राजस्व प्राप्तियां

वर्ष	कर राजस्व	गैर कर राजस्व	सहायता अनुदान व अंशदान	सकल राजस्व प्राप्तियां	जी0डी0पी0*	जी0डी0पी0से* सकल राजस्व-प्राप्तियों की प्रतिशतता
2005-06	1990.28	689.68	3878.67	6558.63	25471	25.75
2006-07	2285.53	1336.86	4212.83	7835.22	28358	27.63
2007-08	2751.82	1822.43	4567.30	9141.55	31974	28.59
2008-09	3079.98	1756.24	4471.77	9307.99	36940	25.20
2009-10	3436.15	1783.66	5126.55	10346.36	42278	24.47

#### राजस्व व्यय

वर्ष	राजस्व व्यय (वास्तविक आंकड़े)	कुल व्यय	जी0डी0पी0*	प्रतिशतता बढ़ौतरी (वर्ष से तक)			जी0डी0पी0 से सरकारी व्यय की प्रतिशतता*
				राजस्व व्यय	कुल व्यय	जी0डी0पी0*	
2005-06	6466.16	7301.05	25471	11.62	12.83	10.43	28.66
2006-07	7644.11	8779.67	28358	18.22	20.25	11.33	30.96
2007-08	8291.75	9719.18	31974	8.47	10.70	12.75	30.40
2008-09	9438.13	11606.81	36940	13.83	19.42	15.53	31.42
2009-10	11151.01**	13164.12**	42278	18.15	13.42	14.45	31.14

**टिप्पणी :** सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र में कुल उत्पादित सेवाओं व वस्तुओं के बाजार मूल्य को कहते हैं।

\* जी.डी.पी. आंकड़ों राज्य सरकार से प्राप्त किया।

\*\* पृष्ठ संख्या 3\* पर पाद टिप्पणी देखें।

वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक (5 वर्षों में) की तुलना में सरकार के कुल व्यय में ₹ 5863.07 करोड़ वृद्धि हुई।

राजस्व व्यय के प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि को निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

व्यय के क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	पिछले वर्ष 2009-10 से प्रतिशतता वृद्धि
ब्याज अदायगियाँ तथा ऋण सेवा	1562.72	1669.43	1702.72	1893.57	1955.85	3.29
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	676.65	920.32	958.53	1166.34	1361.40	16.72
प्रशासनिक सेवाएं	427.33	542.57	584.03	644.14	799.68	24.15
कृषि एवं सम्बन्ध कार्यकलाप	469.89	498.15	631.46	823.18	1177.69*	43.07
ग्रामीण विकास	106.76	149.08	185.00	250.10	277.96	11.14
ऊर्जा	123.52	314.44	174.75	108.03	188.78*	74.75
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2.35	2.17	2.25	2.41	2.35	क

#### सरकारी खाते

वर्ष का कुल व्यय (राजस्व व पूंजीगत) वर्ष की कुल प्राप्तियों (राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों) के सम्मुख नोट किया जाता है तथा सम्बन्धी घाटों/आधिक्यों को एक अलग लैजर अर्थात् 'सरकारी खाता' को अन्तरित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व अवधि समायोजन, विविध सरकारी खाता आदि के शुद्ध-प्रभाव को भी लैजर " सरकारी खाते " को अन्तरित कर दिया जाता है। इस प्रकार, लैजर 'सरकारी खाता' सरकार के संचालनों के संचयागत आधिक्य/ घाटे को प्रदर्शित करता है।

\* पृष्ठ संख्या 3\* पर पाद टिप्पणी देखें।

क. प्रतिशतता वृद्धि निकाली नहीं जा सकती क्योंकि व्यय पिछले वर्ष से कम है

लेजर सरकारी खाते के पिछले पांच वर्षों के विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व शीर्ष			पूंजीगत-शीर्ष			अन्य शीर्ष	वर्ष का घाटा	वर्ष के अन्त में संचयागत घाटा (-) /आधिक्य (+)
	प्राप्तियां (+)	संवितरण (-)	घाटा (-) /आधिक्य (+)	प्राप्तियां (+)	संवितरण (-)	घाटा (-)	घाटा (-) /आधिक्य (+)		
05-06	6558.63	6466.16	(+) 92.47	—	820.76	(-) 820.76	(-) 3.85	(-) 732.14	(-)17319.02
06-07	7835.22	7644.11	(+)191.11	—	1109.81	(-) 1109.81	—	(-) 918.70	(-)18237.72
07-08	9141.55	8291.75	(+) 849.80	—	1413.49	(-) 1413.49	—	(-) 563.69	(-)18801.41
08-09	9307.99	9438.13	(-) 130.14	—	2079.07	(-) 2079.07	(+) 1.17	(-) 2208.04	(-)21009.45
09-10	10346.36	11151.01 <sup>@</sup>	(-)804.65	—	1943.44	(-) 1943.44	(+) 0.01	(-) 2748.08	(-)23757.53#

**दायित्व**

राज्य सरकार के दायित्वों में, 2005-06 में ₹ 17432.00 करोड़ से 2009-10 में ₹ 23557.07 करोड़ तक, ₹ 6125.05 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिमों से समाहित लोक ऋणों में, चालू वर्ष के अन्त में, वर्ष 2005-06 में ₹ 12340.96 करोड़ से चालू वर्ष के अन्त तक ₹ 17112.95 करोड़ तक ₹ 4771.99 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-293 के अर्न्तगत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि यह राज्य विधान-सभा द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई सीमाओं (यदि कोई हो), के भीतर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर ऋण ले सकती है। लोक-ऋण का विवरण एवं राज्य सरकार के समस्त दायित्वों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आन्तरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम	कुल लोक ऋण	लघु बचतें	भविष्य निधि	अन्य बाध्यताएं	कुल दायित्व *	जी.डी.पी. **	जी.डी.पी. से कुल दायित्वों की प्रतिशतता
05-06	11230.74	1110.22	12340.96	127.20	3163.91	1799.93	17432.00	25471	68.44
06-07	12131.87	1019.65	13151.52	137.45	3475.69	1305.69	18070.35	28358	63.72
07-08	13049.17	1014.87	14064.04	148.09	4005.47	1171.91	19389.51	31974	60.64
08-09	14456.27	970.97	15427.24	158.32	4510.12	1627.63	21723.31	36940	58.81
09-10	16129.00	983.95	17112.95	169.57	5044.55	1229.98	23557.05	42278	55.72


\* लघु बचत, भविष्य निधि, स्थानीय निधियों के निक्षेप जैसी ब्याज रहित बाध्यताएं, अन्य

\*\* सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्रोत: राज्य सरकार से प्राप्त किया।


# पूर्णकिल के कारण वित्त लेखे से ₹ 0.01 करोड़ का अन्तर है।

@ पृष्ठ संख्या 3\* पर पाद टिप्पणी देखें।

### सकल लोक ऋण का विवरण दर्शाता चार्ट (₹ करोड़ में)



### जी.डी.पी. से कुल दायित्वों की प्रतिशत दर्शाता चार्ट



### राज्य भविष्य निधि

राज्य भविष्य निधि से लेन देनों का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियां	अदायगियां	वर्ष के शुद्ध जमा शेष	अन्त शेष	भविष्य निधि पर दिया गया ब्याज
2005-06	2863.02	1011.00	710.11	300.89	3163.91	230.46
2006-07	3163.91	1095.43	783.65	311.78	3475.69	266.26
2007-08	3475.69	1432.12	902.34	529.78	4005.47	266.04
2008-09	4005.47	1553.32	1048.67	504.65	4510.12	413.17
2009-10	4510.12	1640.14	1105.71	534.43	5044.55	390.63

### आश्वस्ति (गारंटी)

सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों व पूंजी की अदायगी तथा उस पर ब्याज के भुगतान हेतु राज्य-सरकार द्वारा आश्वस्तियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	आश्वस्त राशि (मूल केवल)	बकाया राशि	
		मूल	ब्याज
2005-06	5525.83	3553.32	33.49
2006-07	6346.85	2851.60	124.54
2007-08	6450.32	2594.14	37.97
2008-09	6076.14	2254.04	36.72
2009-10	4360.75	1924.10	25.13

### अर्थोपाय अग्रिम

राज्य सरकार, अपनी परिसमापन-अवस्था के परिरक्षण एवं प्रतिपालन के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय-अग्रिम लेती है व तत्पश्चात्, जब भी इसके खाते में अनुबंधित न्यूनतम रोकड़ शेष में कोई कमी आती है, भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट करके राशि का आहरण कर लेती है। राज्य सरकार के लए यह आवश्यक है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹ 0.55 लाख का न्यूनतम रोकड़ शेष रखें। राशि जितनी अधिक होगी तथा जितनी अधिक बार ऐसे अर्थोपाय अग्रिम लिए या आहरित किए जायेंगे, उतनी ही अधिक राज्य सरकार के रोकड़-शेष की विपस्ति-अवस्था सामने आती है।

(i) जितने दिन न्यूनतम-शेष बरकरार रखा गया, उन दिनों की संख्या	117	114	116	87	365
(क) कोई अग्रिम प्राप्त किए बिना	13	01	---	---	---
(ख) अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके	---	---	---	---	---
(ii) जितने दिन ओवर ड्राफ्ट लिया गया उन दिनों की संख्या	---	---	---	---	---

### सामान्य रोकड़-शेष

राज्य सरकार के लेखाओं में दर्शाए गए ₹ 301.64 करोड़ (जमा राशि ₹ 3.74 करोड़ खजानों में रोकड़ एवं मार्गस्थ प्रेषण स्थानीय सम्मिलित है) के सामान्य रोकड़ शेष के सम्मुख भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ₹ 304.62 करोड़ नामे का अन्त-रोकड़ शेष था। ₹ 2.98 करोड़ का अन्तर समाधानाधीन है।

31 मार्च 2010 को \* रोकड़ शेष निवेश खाते में ₹ 582.60 करोड़ निवेश पाया गया। अन्य रोकड़ शेष व निवेश ₹ 0.19 करोड़ था जिसमें (₹ 0.16 करोड़) विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ और (₹ 0.03 करोड़) विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम था।

वर्ष 2009-10 के शुरू में राज्य सरकार का रोकड़-शेष जो कि ₹ (-) 150.14 करोड़ था से बढ़कर अन्त में ₹ (-) 301.64 करोड़ हो गया। निधियों के स्रोतों एवं प्रयुक्त किये जाने का विवरण निम्न प्रकार से है:

(₹ करोड़ में)

स्रोत			प्रयुक्त				
क्र० सं०	मदें	राशि	क्र० सं०	मदें	राशि	योग	
1.	आरम्भिक रोकड़ शेष	(-)150.14	1.	राजस्व व्यय	आयोजनेतर व्यय 9913.45**	योजना व्यय 1227.56	11151.01**
2.	संघीय करों/आबकारी शुल्कों में राज्य का अंश	861.63	2.	पूँजीगत व्यय	आयोजनेतर व्यय 48.65	योजनागत व्यय 1894.79	1943.44
3.	राज्य द्वारा निजी राजस्व संग्रह	4358.18	3.	ऋणों एवं अग्रिमों की वापसी	केन्द्रीय सरकार को 56.04	अन्य को 810.76	866.80
4.	केन्द्रीय अनुदान/सहायता अन्य ऋण	5126.55	4.	दिए गये ऋण एवं अग्रिम	आयोजनेतर 67.11	योजना 2.56	69.67
5.	विविध	---					
6.	आन्तरिक ऋण, लघु बचतों, जमाओं एवं अग्रिमों (केन्द्रीय ऋणों के अतिरिक्त से प्राप्तियां )	5366.51	5.	उचन्त एवं प्रेषण शेषों के समायोजन तथा आरक्षित निधियों में वृद्धि/कमी का शुद्ध परिणाम		---	---
7.	केन्द्रीय ऋणों से प्राप्तियां	69.02	6.	लघु बचतों जमा और अग्रिम			2072.29
8.	ऋणियों से वसूलियां	33.85					
9.	आकस्मिकता निधि से शुद्ध अंशदान	---					
10.	उचन्त एवं प्रेषण शेषों के समायोजन तथा आरक्षित निधियों में वृद्धि का शुद्ध परिणाम	135.97	7.	अन्त रोकड़ शेष			(-)301.64
	योग	15801.57		योग			15801.57

### आकस्मिकता निधि

आकस्मिकताओं से निपटने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि बनाई गई है। यद्यपि कोई भी राशी 2005-06 से 2009-10 की अवधि में आकस्मिकता निधि से आहरित नहीं की गई है।

\* यह राशि अल्प-कालिक ऋण जो रोकड़ के अस्थाई निवेश से अथवा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों से सम्बन्धि लेन-देन के अंकित करने के उद्देश्य हेतु है।

\*\* पृष्ठ संख्या 3\* पर पाद टिप्पणी देखें।

